सं0 सं0–टी–5 / विधि–10 / 2023...1010...../

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक(LWE),
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

सेवा में,

आई०टी० प्रबंधक,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक...16.04.....2025

विषय– माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के अनुपालन में निदेशालय से संबंधित उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी Reportable Judgement का हिन्दी अनुवाद विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध मे कहना है कि उप सचिव–सह–विधी प्रभारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–305 दिनांक–23.01.2025 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के आलोक में सभी Reportable Judgement का हिन्दी अनुवाद आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना है।

अतः उक्त के आलोक में निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) से संबंधित वाद C.W.J.C.No.- 13951/2024 मे माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक–19.09.2024 को एवं C.W.J.C.No.- 15816/2023, C.W.J.C.No.- 15866/2023, C.W.J.C.No.- 16335/2023, C.W.J.C.No.- 2162/2024 तथा C.W.J.C.No.- 3385/2024 मे दिनांक–17.05.2024 को पारित Reportable Judgement का Google हिन्दी अनुवाद की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/4/25

संयुक्त निदेशक(LWE),
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

पटना उच्च न्यायालय में

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 15816

==========

1. गोल्डन कुमार पुत्र बिष्णु प्रसाद, निवासी ग्राम-जलालपुर, पीओ और थान-नूरसराय, जिला-नालंदा-803113।
2. अजीत कुमार, पुत्र बखोरी प्रसाद सिंह, निवासी मोहिउद्दीनपुर चक, पीओ और थाना जिला नालंदा-801302।
3. विजय कुमार राम, पुत्र श्रीकांत राम, निवासी ग्राम भंती, पीओ कचनार, थाना रघुनाथपुर, जनपद-सीवान-841210।
4. राजेश कुमार पुत्र रामबली सिंह, निवासी ग्राम-दाउदनगर, पीओ और थान-दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद-824143।
5. निखिल कुमार सिंह, पुत्र अशोक कुमार सिंह, निवासी ग्राम तेल्हारा, थाना-तेलहारा, जिला-औरंगाबाद-824111।
6. ओम प्रकाश मेहता, पुत्र श्रीराम मेहता, निवासी ग्राम-सोनौरा, पी.ओ., पी.ओ., पी.ओ., सोनौरा, जनपद औरंगाबाद-824301।
7. धनंजय कुमार यादव पुत्र रामाधार यादव निवासी ग्राम दरवां, पीओ दरवां एवं थाना-दनरवा, औरंगाबाद-824203

. ... याचिकाकर्ता/एस

बनाम

1. सामान्य प्रशासनिक विभाग के माध्यम से बिहार राज्य, बिहार, पटना।
2. श्रम संसाधन विभाग अपने प्रधान सचिव बिहार सरकार के माध्यम से।
3. निदेशक रोजगार और प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार।
4. (ख) बिहार के श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव के माध्यम से योजना एवं प्रशिक्षण निदेशालय।
5. संयुक्त निदेशक रोजगार और प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार, पटना, बिहार।
6. सहायक निदेशक प्रशिक्षण, बिहार सरकार।
7. सचिव, बीटीएससी पटना।
8. प्रभारी सचिव बीटीएससी पटना।

... ... उत्तरदाता/रों

==========

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 15866

==========

1. कौशिक कुमार पुत्र श्री धनंजय शर्मा, निवासी ग्राम समरकंद थाना कोरमा थाना घोसी, जनपद जहानाबाद पिन कोड 804432।
2. मोहम्मद चंगेज, पुत्र मोहम्मद सैफुद्दीन निवासी अवारी, थाना-अवारी, थाना-मरहोरा, जनपद- सारन, पिन कोड- 841418।

(162)

3. रूपक कुमारी, पुत्री श्री ओम प्रकाश गुप्ता, निवासी ग्राम बिस्फी गोला, पी.ओ.-बिस्फी, थाना - बिसफी, जिला- मधुबनी, पिन कोड- 847122।
4. संजय कुमार सुमन, पुत्र श्री धर्म नारायण साह, निवासी मझौरा, पीओ- छजना, थाना-नरहिया, जिला- मधुबनी, पिन कोड 847108।

... ... याचिकाकर्ता/एस

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रमुख सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना। निर्देशक
3. रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय (प्रशिक्षण स्कंध), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
5. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
6. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

... ... उत्तरदाता/रों

==========

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 16335

==========

1. सुनील कुमार पुत्र योगेन्द्र प्रसाद, निवासी पीओ एवं थाना - शंकर सरैया, जनपद - पूर्वी चंपारण, पिन कोड- 845437.एस
2. इकंदर कुमार, पुत्र बिष्णुदयाल राम, निवासी गांव और पीओ खापुरा, थाना- खपुरा, जिला-नालंदा, पिन कोड- 801305।
3. राजीव रंजन, पुत्र शंकर चौधरी, निवासी भरत राउत, पीओ और पीएस - हाजीपुर, जिला - वैशाली, पिन कोड - 844101।
4. रंजीत कुमार पुत्र हरिनारायण प्रसाद निवासी 804452 पी.ओ.
5. उदय कुमार भारती, पुत्र बारास पंडित, निवासी नियर ब्लॉक ऑफिस, उत्तरी संगत, वार्ड नंबर 6, हुलवारीशरीफ, पीएस - फुलवारीशरीफ, जिला पटना, पिन कोड- 801505।
6. जितेंद्र कुमार सिंह, पुत्र कामता राय, निवासी नक्ता दियारा, पीओ मखदुमौर दीघा, पीएस - दीघा, जिला - पटना, पिन कोड - 800011।

... ... याचिकाकर्ता/एस

बनाम

1. सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. (ii) प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
4. निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय (प्रशिक्षण स्कंध), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

5. 2 बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
6. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
7. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

... ... उत्तरदाता/रों

==========

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2162

==========

1. नागेन्द्र राम पुत्र शिवधायन राम, निवासी निवासी वार्ड क्रमांक 7, ग्राम रामपुर गांगुली, थाना काळ-रामपुर गांगुली, थाना पी0 रीगा, जनपद-सीतामढ़ी, पिन 843327।
2. श्याम बाबू शफी पुत्र राम बिनोद शफी निवासी गांव-हरि छपरा, मुनिक चौक। पी.ओ.-लग्मा. पी.एस.-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी, पिन 843323।
3. उज्जैन राजू कुमार सिंह पुत्र रामविलाश सिंह निवासी ग्राम कैलाशपुरी वार्ड क्रमांक 11, थाना प्रभारी एवं थाना सीतामढ़ी, जनपद सीतामढ़ी पिन 843301।
4. राजेश महतो पुत्र बैधनाथ महतो, निवासी ग्राम-चक महिला, थाना-चक महिला, थाना-सीतामढ़ी, जनपद-सीतामढ़ी, पिन-843302।
5. विश्वमीत कुमार पुत्र धनबीर प्रसाद, निवासी ग्राम-वार्ड क्रमांक 8, श्री रामपुर, थाना-नरंगा, वाया-परिहार, थाना-बेला, जनपद-सीतामढ़ी, पिन 843324।
6. सुजीत कुमार पुत्र जय नारायण महतो, निवासी ग्राम-वार्ड क्रमांक 1 तिलंगी, थाना-बनारझूला, वाया-भुटाही, थाना-सोनाबरसा, जनपद-सीतामढ़ी। पिन-843317।
7. रविशंकर पुत्र शभमहू आचार्य, निवासी ग्राम- वार्ड क्रमांक 5, मुरौल, थाना थान-बाजपट्टी, जनपद-सीतामढ़ी, पिन-843314।
8. विकास सौराभा त्रिवेदी रंजीत कुमार के बेटे हैं। निवासी ग्राम एवं थाना-प.-भोरहान, मोहनपुर, था.प्र.श्यामपुर भटहन, जिला-शिवहर, बिहार-843329.
9. कुमार दीपेंद्र सिंह @ केआर दीपेंद्र सिंह पुत्र तिलयुग नारायण यादव, निवासी ग्राम-घाघरा, पीओ-बबरवां, थाना-परिहार, जिला सीतामढ़ी, पिन-843324।
10. शारदा नंदन कुमार @ शारदा नंदन कुमार पुत्र नवल किशोर पांडेय, निवासी ग्राम-बघारी, थाना-बघरी, थाना-रून्नी सैदपुर, जनपद सीतामढ़ी, पिन-843323।
11. प्रवीण कुमार पुत्र गंगा प्रसाद यादव, निवासी ग्राम खोपराहिया, पीओ अंदौली, थाना परिहार, जनपद सीतामढ़ी। पिन-843324।
12. मनोज कुमार पुत्र श्री रामबृक्ष यादव, निवासी ग्राम वार्ड क्रमांक 9, सरदलपट्टी, थाना आ० सा० सरदल पट्टी, थाना जनपद सीतामढ़ी, जनपद सीतामढ़ी, पिन 843324।
13. बीरेंद्र कुमार पुत्र राजा नंदन सिंह, निवासी ग्राम-रुपौली वार्ड नंबर 05, पीओ-बिशनपुर, थाना-डुमरा, जनपद-सीतामढ़ी, पिन-843302।

14. ललित कुमार पुत्र राम पूजन ठाकुर निवासी ग्राम एवं थाना ओ-मोहानी मंडल दुबाहा, थाना-सुप्पी, जनपद-सीतामढ़ी, पिन-843327।

15. श्रेया श्रीवास्तव पुत्री सच्चिदानंद प्रसाद, निवासी - ओल्ड सर्कस कंपाउंड वार्ड नंबर 2, घोशाला रोड, थाना-चक महिला सीतामढ़ी, जनपद-सीतामढ़ी, पिन-843302।

16. प्रदीप कुमार पुत्र कृष्ण चंद्र झा, निवासी वार्ड नंबर 29, आदर्श नगर, कला निकेतन के दक्षिण, राजो पट्टी, पीओ और पीएस- सीतामढ़ी, जनपद-सीतामढ़ी, पिन-843301।

17. यशवंत कुमार पुत्र राम हलधर दास, निवासी गांव एवं पीओ बलूआ, तहसील-महिषी, जनपद- सहरसा। पिन-852216।

18. चंद्रिका साह पुत्र राम स्वार्थ साह, निवासी वार्ड नंबर 10, सिरा, पीओ- विशनपुर, परमनंदपुर, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843302।

19. सत्य नारायण कुमार @ सत्या सिंह सन ओएफ बच्चू भगत, रेजिडेंट ओएफ विलेज-परतापुर, पी।एस।-सीतामरही, डिस्ट्रिक्ट-सीतामरही, पिन-843311

... ... याचिकाकर्ता/एस

बनाम

1. सामान्य प्रशासनिक विभाग के माध्यम से बिहार राज्य, बिहार सरकार, पटना।
2. श्रम संसाधन विभाग अपने प्रमुख सचिव बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
3. निदेशक रोजगार और प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना, बिहार सरकार।
4. योजना और प्रशिक्षण निदेशालय, बिहार ने अपने संयुक्त सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
5. संयुक्त निदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग। बिहार सरकार, पटना, बिहार।
6. सहायक निदेशक प्रशिक्षण बिहार सरकार, पटना।
7. सचिव बी.टी.एस.सी. पटना।
8. प्रभारी सचिव बी.टी.एस.सी. पटना।

... ... उत्तरदाता/रों

==========

के साथ

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 3385

==========

1. राजीव रंजन पुत्र बिंदेश्वरी प्रसाद, निवासी परवतिया टोला, वार्ड नंबर 1, पीओ और थाना-बेतिया, जिला-पश्चिम चंपारण, पिन कोड-845 438।
2. सिकंदर प्रसाद पुत्र बिशुनदेव प्रसाद निवासी नवागवां, पीओ लक्ष्मीपुर, थाना-चुहारी, जनपद-पश्चिम चंपारण, पिन कोड-845 450।
3. ब्यूटी कुमारी निवासी वार्ड नंबर 34 निवासी जगदेव यादव की पुत्री। पीओ और पीएस सिसवानिया, जिला-पश्चिम चंपारण, पिन कोड-845 453।

4. अमर ज्योति, पुत्र सत्येंद्र प्रसाद राय, निवासी लखनपुर ताल, पीओ और पीएस और जनपद-वैशाली, पिन कोड-844 504।
5. चंदन तिवारी, पुत्र सत्येंद्र तिवारी निवासी खश महल, रोड नंबर 3, चिरैयाटांड़, पीओ- जीपीओ, पीएस-जकनपुर, जिला-पटना, पिन कोड-800 001।
6. बमबम कुमार पुत्र दीप नारायण यादव निवासी ताली बराड़ी, पीओ और थाना बराड़ी, जनपद-कटिहार, पिन कोड-854 104.
7. बिहारीलाल प्रसाद, पुत्र रामस्वरूप प्रसाद, निवासी जौकटिया, वार्ड नंबर 18। पीओ और पीएस-जवाकटिया, जिला-पश्चिम चंपारण, पिन कोड-845454।
8. कौशिक कुमार पुत्र धनंजय शर्मा निवासी ग्राम-एस अमरखंड, पीओ कोरमा, थाना घोसी, जनपद-जहानाबाद, पिन कोड-804 432
9. सन्नी कुमार पुत्र नंदकिशोर प्रसाद, निवासी वासुदेवपुर बेलदार वीरकुवर दलहट्टा, पीओ और पीएस और जनपद-मुंगेर, पिन कोड-811 201। 10.
10. अजीत कुमार, पुत्र बखरी प्रसाद सिंह, निवासी चकमोहिद्दीनपुर, थाना मोहिउद्दीनपुर, थाना-चिकसौरा, जनपद- नालंदा, पिन कोड- 801302

... ... याचिकाकर्ता/एस

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रमुख सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
3. निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय (प्रशिक्षण स्कंध), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।
5. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
6. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

... ... उत्तरदाता/रों

==========

उपस्थितिः

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 15816 में)

याचिकाकर्ता के लिए: श्री एमडी शाहनवाज अली, एडवोकेट
श्री पद्मनाथ कश्यप, एडवोकेट
श्री दीपक कुमार, एडवोकेट
श्री पुष्कर भारद्वाज, एडवोकेट

राज्य के लिए: श्री पी.के.शाही, महाधिवक्ता

बीटीएससी के लिए: श्री निकेश कुमार, एडवोकेट

हस्तक्षेपकर्ता के लिए : श्री पी.एन.शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री श्याम सुंदर कुमार, एडवोकेट
श्री रितेश कुमार, एडवोकेट

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 15866 में)

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(158)

राज्य के लिए: श्री पी.के.शाही, महाधिवक्ता

बीटीएससी के लिए: श्री निकेश कुमार, एडवोकेट

(2023 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 16335 में)

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री पी.के.शाही, महाधिवक्ता

बीटीएससी के लिए: श्री निकेश कुमार, एडवोकेट

भारत संघ के लिए श्री आनंद के. ओझा, वरिष्ठ सीजीसी

हस्तक्षेपकर्ता के लिए: श्री पी.एन.शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री श्याम सुंदर कुमार, एडवोकेट

श्री रितेश कुमार, एडवोकेट

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 2162 में)

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री राम निवास रे, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री पी.के.शाही, महाधिवक्ता

बीटीएससी के लिए: श्री निकेश कुमार, एडवोकेट

(2024 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 3385 में)

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री पी.के.शाही, महाधिवक्ता

बीटीएससी के लिए: श्री निकेश कुमार, एडवोकेट

==========

कोरम : माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार

CAV निर्णय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक : 17-05-2024

उपर्युक्त मामलों में किसी संवर्ग में चयन, नियुक्ति और नियोजन की शर्तों के विनियमन में एक शैक्षिक निकाय की सिफारिशों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी कार्यकारी अनुदेशों की परस्पर क्रिया संबंधित मुद्दा है। कैडर बिहार राज्य के भीतर 'औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों' का है, जिसे पहले 2013 में बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया गया था, जिन्हें निरस्त कर दिया गया था और 2018 के नियम लागू हुए थे। वर्ष 2013 के नियमों के तहत वर्ष 2016 में चयन और नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन पर कार्यवाही नहीं की गई।

2. औद्योगिक व्यापार प्रशिक्षकों के चयन के लिए एक अन्य विज्ञापन तब 2018 के नियमों के तहत वर्ष 2023 में प्रकाशित किया गया था। अंतराल में, संविदा पर और अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं के रूप में नियुक्तियां की गई थीं। 2023 के विज्ञापन का उद्देश्य 2018 के नियमों के अनुसार निम्नलिखित द्वारा चयन किया जाना था (i) एक लिखित परीक्षा, (ii) इंजीनियरिंग में स्नातक/डिप्लोमा या आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट परीक्षा में प्राप्त अंक, (iii) 'क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम' (CITS) के प्रमाण पत्र की योग्यता को वरीयता देना और (iv) संविदात्मक कर्मचारियों को वेटेज।

रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं, जो शॉर्ट टर्म/गेस्ट लेक्चरर हैं, ने विज्ञापन को आधार पर चुनौती दी; (i) कि राजपत्र अधिसूचना बाद में आने के बाद से विज्ञापन के समय 2018 के नियमों को लागू नहीं किया गया है, (ii) कि, CITS योग्यता को केवल वरीयता नहीं दी जानी है, बल्कि अनिवार्य है, (iii) कि, नियमित और आरपीएल CITS की समतुल्यता की गणना नहीं की गई है और (iv) कि, राज्य की कार्रवाई अल्पकालिक / अतिथि व्याख्याताओं के रूप में भेदभावपूर्ण थी, जो संविदागत कर्मचारियों के समान ही कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और संविदागत कर्मचारियों के समान स्थित हैं, उन्हें उन वर्षों के लिए वेटेज नहीं दिया गया था जो वे राज्य की सेवा में उसी तरीके से जारी रहे जिस तरह से संविदागत कर्मचारियों को जारी रखा गया था।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अभिनव श्रीवास्तव ने 2024 के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 3385 के संदर्भ में तर्क दिया। जब प्रारंभिक रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, तो याचिकाकर्ताओं ने नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि सीआईटीएस को अनिवार्य योग्यता नहीं बनाया गया था। केवल बाद में, याचिकाकर्ताओं ने महसूस किया कि 2018 के नियम, जिसके आधार पर विज्ञापन लाया गया था, जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 2018 के नियमों को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है; जिस पर सीडब्ल्यूजेसी नंबर 3385/2024 दायर किया गया था, जिसके आधार पर तर्कों को संबोधित किया गया था। यह बताया गया है कि 2013 के पहले के नियमों को लागू किया गया था और इसने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न निर्देशों को कम कर दिया था कि सीआईटीएस को व्यापार अनुदेशकों के लिए अनिवार्य योग्यता बनाया जाना चाहिए ताकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के मानकों को बढ़ाया जा सके; देश और राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं। जारी किए गए एक विज्ञापन के विरुद्ध एक चुनौती दी गई थी, जिसे चुनौती को बरकरार रखा गया था और इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यापार अनुदेशकों के चयन के प्रयोजनार्थ सीआईटीएस की अर्हता को अनिवार्य बनाने का निदेश जारी किया गया था। राज्य इस मामले पर सो गया, लेकिन वर्ष 2016 में एक विज्ञापन जारी किया जहां सीटीएस को एक आवश्यक योग्यता बना दिया गया था। इसे बिना किसी कारण के आगे नहीं बढ़ाया गया। इस बीच, नियुक्तियां अनुबंधित और अतिथि व्याख्याताओं दोनों के रूप में की गईं; (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में भी उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2018 में, नए नियम तैयार किए गए थे जिसमें सीआईटीएस की अनिवार्य योग्यता को वांछनीय योग्यता बना दिया गया था; जो केंद्र सरकार के शासनादेश के खिलाफ है। भारत के संविधान की अनुसूची-VII की सूची-I की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 का परस्पर संबंध; अनुसूची-III की सूची III में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कार्यकारी अनुदेशों को प्रधानता दी गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित करने और बढ़ाने के काम के साथ काम करने वाले शीर्ष निकाय, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए नुस्खे को कमजोर नहीं कर सकते हैं। यह बताया गया है कि 2018 के नियमों को लागू करने के लिए कोई राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, इस संदर्भ में, 2018 के नियमों के संदर्भ में जारी विज्ञापन को कायम नहीं रखा जा सकता है। लिखित परीक्षा का निर्धारण 2018 के नियमों के अनुसार किया गया है, जिसे कैडर के चयन और नियुक्ति में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे ठीक से अधिसूचित नहीं किया गया है.

4. भेदभाव के आधार पर विशेष रूप से रिट याचिका में पेश किए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए हमें यह समझाने का आग्रह किया गया था कि यदि चयन आगे बढ़ता है, तो याचिकाकर्ता जो अतिथि व्याख्याता और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्ति हैं, उन्हें वही वेटेज दिया जाना चाहिए जो संविदा कर्मचारियों पर लागू होता है; (ख) राज्य में आईटीआई में समान रूप से स्थित विभिन्न संस्थानों में ऐसे

व्यक्तियों की भर्ती की गई है। यह भी बताया गया है कि नियमित अध्ययन और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लेवल (आरपीएल) नामक प्रक्रिया द्वारा सीआईटीएस प्राप्त किया जा सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा नियमित सीआईटीएस और आरपीएल-सीआईटीएस दोनों को समान कर दिया गया है जो विज्ञापन में समकारी नहीं दर्शाया गया है जिससे और भेदभाव होता है। यह याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का सम्मोहक तर्क है कि राज्य विज्ञापन के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है और पूरे चयन को स्थगित करना होगा और 2018 के नियमों के तहत एक उचित चयन शुरू किया जाना चाहिए, जिसे अब 2023 के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है; 2023 के विज्ञापन के बाद।

5. विद्वान महाधिवक्ता ने इस कथन के साथ अपनी दलीलें शुरू कीं कि चयन अब पूरा हो गया है और याचिकाकर्ताओं ने भी इसमें भाग लिया है। आगे बढ़ाए जा रहे चयन में याचिकाकर्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, खासकर जब उन सभी ने विज्ञापन के तहत आवेदन किया है और परीक्षा में भी भाग लिया है। इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेश के कारण परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं और यदि तत्काल नियुक्तियां नहीं की जाती हैं, तो राज्य के भीतर संपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ताओं का प्रयास केवल शॉर्ट टर्म/गेस्ट लेक्चरर के रूप में जारी रखना है; जिन्हें किसी भी तरह से ठेका कर्मचारियों के समान नहीं कहा जा सकता है। संविदा कर्मचारियों का चयन नियमित प्रक्रिया के माध्यम से उनकी योग्यता सुनिश्चित करने के बाद और रोस्टर का पालन करने के बाद स्वीकृत पदों पर किया गया था; जो अल्पावधिक/अतिथि व्याख्याताओं के रोजगार का मामला नहीं है। समानता का सिद्धांत दूषित हो जाएगा यदि गैर-समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और भेदभाव खोजने के लिए कोई वैध मामला स्थापित नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का प्रयास केवल अपने अल्पकालिक रोजगार में जारी रखना और चयन प्रक्रिया को विफल करना है; जो अगर आगे बढ़ता है और नियुक्तियां की जाती हैं, तो केवल शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। यहां तक कि अगर नए विज्ञापन के बाद नए सिरे से चयन किया जाता है, तो भी वही प्रक्रिया अपनानी होगी।

6. जहां तक सीआईटीएस की अनिवार्य प्रकृति का संबंध है, यह बताया गया है कि विज्ञापन से पहले भी, केंद्र सरकार ने नुस्खे को कमजोर कर दिया था और केवल एक चयनित उम्मीदवार, जिसके पास सीआईटीएस नहीं है, पर जोर दिया था, तीन साल की अवधि के भीतर योग्यता प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। विज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा यह शर्त अपनाई गई है। 2018 के नियमों को बाद में अधिसूचित किया गया है और चूंकि आवेदकों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है, जो पहले से ही नियमों के नए सेट के तहत शुरू की गई चयन प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, जिसे अब ठीक से अधिसूचित भी किया गया है, रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना है।

7. श्री पी.एन.शाही, हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि राजपत्र अधिसूचना की अनुपस्थिति के कारण 2018 के नियमों को अमान्य करने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि बिहार और उड़ीसा सामान्य खंड अधिनियम, 1970 की धारा 6 से स्पष्ट है। 2018 के नियम विशेष रूप से इंगित करते हैं कि यह तुरंत परिचालन में आएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें पाया गया कि संबंधित राज्यों में बनाए गए नियम सीआईटीएस को अधिमान्य योग्यता बनाते हुए पूर्णत क्रम में हैं। अनुच्छेद 309 के तहत सांविधिक नियम बनाने की राज्यों की शक्ति को केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है।

8. केंद्र सरकार की ओर से पेश विद्वान वकील श्री आनंद कुमार ओझा को भी सुना गया। पक्षकारों ने कई निर्णयों पर भरोसा किया था, जिनका हम निर्णय के दौरान उल्लेख करेंगे।

9. एक उचित नींव रखने और मुख्य मुद्दे को समझने के लिए, हम 2024 के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 3385 के संदर्भ में तथ्यों का विस्तार करेंगे। इसमें याचिकाकर्ता स्नातक इंजीनियर हैं जिनके पास सीआईटीएस योग्यता भी है; कुछ याचिकाकर्ताओं के प्रमाण पत्र अनुबंध-1 में प्रस्तुत किए गए हैं। अनुबंध-2 दिनांक 24.07.1996 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के बारे में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय से प्राप्त एक पत्र है। एनसीवीटी की 31वीं बैठक से व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद के लिए भर्ती योग्यता बढ़ाने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और राज्यों से व्यावसायिक अनुदेशकों, सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों के संबंध में भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। उक्त संचार के बावजूद, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक नियम, 2013 (अनुलग्नक -3) में सीआईटीएस की आवश्यक योग्यता प्रदान नहीं की गई थी। उक्त नियमों को चुनौती दी गई और राज्य में विभिन्न आईटीआई में अनुदेशकों के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 2/2013 जारी किया गया; 2013 के नियमों के आधार पर।

10. रिट याचिका में, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26.07.2013 को एक अंतरिम आदेश द्वारा इस मामले पर विस्तार से विचार किया था, विशेष रूप से उपेंद्र नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 एससीसी ऑनलाइन ऑल: 709 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा करते हुए। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जवाब में स्पष्टता की कमी को देखते हुए, यह निर्देश दिया गया था कि हालांकि चयन के साथ आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार को दिनांक 15.12.2008 और 28.09.2010 को जारी किए गए पत्रों (उक्त रिट याचिका में प्रस्तुत अनुबंध-बी और सी) के बारे में स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और दो अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय पर भरोसा करते हुए दलीलों के आदान-प्रदान के बाद, विचार के लिए उठाया गया मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बिहार राज्य को भारत संघ द्वारा निर्धारित बुनियादी पात्रता और योग्यता को दरकिनार करने की स्वतंत्रता है। 2013 के नियमों पर रखी गई निर्भरता को अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.07.2013 थी और विज्ञापन उससे पहले था। राज्य को बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियम, 2013 में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप एक नया विज्ञापन जारी करने का निदेश दिया गया था, जिसे सीआईटीएस की अर्हता के रूप में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने का भी निदेश दिया गया था।

11. निर्णय के बाद, जिसे रिट याचिका में अनुलग्नक -4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बिहार राज्य द्वारा दिनांक 22.06.2016 को एक विज्ञापन जारी किया गया था जैसा कि अनुलग्नक -5 में प्रस्तुत किया गया है। ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव 'नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एनएसी) या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एनटीसी) या नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट (सीआईटीएस) था। विज्ञापन में यह विनिदष्ट किया गया था कि सीआईटीएस पर केवल उन्हीं ट्रेडों में जोर दिया जाएगा जहां कार्यक्रम उपलब्ध है। यह विवादित नहीं है कि विज्ञापन पर कार्रवाई नहीं की गई थी और कोई चयन नहीं किया गया था। इसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अनुलग्नक-6, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली, 2018 प्रकाशित की गई। उसमें, नियम 2 (ix) के तहत, CITS को परिभाषित किया गया था। सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताओं के तहत संबंधित व्यवसायों में प्रशिक्षण और शिक्षण प्रदान करने के लिए सीआईटीएस को वांछनीय योग्यता के रूप में दर्शाया गया था। नियम 9 (ई) में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंकों का वेटेज भी प्रदान किया गया है, जो नियोजित और अनुबंध पर काम करने वाले अनुदेशकों को अधिकतम 30 अंकों के अधीन है; एक पूर्ण वर्ष को संतोषजनक सेवा के पांच महीने से ऊपर की किसी भी अवधि के रूप में माना जा रहा है। नियमों ने चयन का तरीका भी प्रदान किया; नियम 9 (जी) के अनुसार; (ग) राष्ट्रीय तकनीकी

अनुसंधान परिषद (एनटीसी)/एनएसी/डिप्लोमा/डिग्री प्रमाणपत्र में प्राप्त अंकों का 30 प्रतिशत, एनटीसी / एनएसी / डिप्लोमा/डिग्री प्रमाणपत्र में प्राप्त अंकों का 30 प्रतिशत अंक, राष्ट्रीय वस्त्र आयोग ने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की घोषणा की है। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के लिए वेटेज था; जो आक्षेपित विज्ञापन में अधिकतम 25 अंकों तक सीमित है।

12. विज्ञापन अनुबंध-11 में प्रस्तुत किया गया है, जो 2023 का विज्ञापन संख्या 38 है, जिसमें कुल 125 अंकों के साथ एक चयन प्रक्रिया का संकेत दिया गया है, जिसमें से 50 ने लिखित परीक्षा के लिए, 20 ने डिप्लोमा/इंजीनियरिंग की योग्यता के लिए, 30 को सीआईटीएस के लिए और 25 को अनुबंध कर्मचारियों के लिए वेटेज दिया है। यह स्वीकार किया जाता है कि 2018 के नियमों की कोई राजपत्र अधिसूचना नहीं थी; जब तक यह बाद में नहीं आया, अनुबंध-13 दिनांक 16.10.2023 के अनुसार। यह मूलभूत तथ्य हैं जिन पर तर्कों को संबोधित किया जाना है।

13. विचार किया जाने वाला पहला मुद्दा यह है कि क्या सीआईटीएस एक अनिवार्य योग्यता है; जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत जारी किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बेरोजगारी औद्योगिक कल्याण समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच; MANU/UP/0024/23, आयोजित किया गया है; सीटीएस की अनिवार्य प्रकृति को एक वांछनीय में संशोधित करने वाले परिवर्तनों के आधार पर, उपेंद्र **नारायण सिंह** (सुप्रा) जैसा कि एक डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई है, याचिकाकर्ताओं के लिए कोई मदद नहीं है, जिन्होंने चयन के खिलाफ इसी तरह की चुनौती भी उठाई थी, सीआईटीएस की अनिवार्य प्रकृति पर जोर देते हुए।

14. हम राजेश और अन्य बनाम बालू और अन्य में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले का भी उल्लेख करते **हैं, 2023 की रिट याचिका संख्या 2654 में** और हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा 2023 के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 15816 में अनुलग्नक पी/2 के रूप में प्रस्तुत किए गए अनुरूप मामले। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 73, 246, 254 और 309 के साथ-साथ सूची-I में प्रविष्टि 66 और सूची- III में प्रविष्टि 25 को निकालने के बाद, डिवीजन बेंच ने पैराग्राफ संख्या 14 से 19 में ऐसा कहा, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है: -

> "14. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए 1983 के भर्ती नियम अनुच्छेद 309 की सक्षम शक्तियों के तहत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 73 जो संघ सरकार की कार्यपालिका से संबंधित संविधान के अध्याय 1 के भाग 5 का भाग है, यह उपबंध करता है कि संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची में सूची 1, सूची II और सूची III में प्रदान किए गए विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि 66 को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षा अथवा अनुसंधान संस्थाओं तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं की संस्थाओं में समन्वय और मानकों के निर्धारण के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है। तथापि, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अंतस्थापित सूची III में प्रविष्टि 25 में सूची-I की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अध्यधीन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, श्रमिकों के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण विषय अंतस्थापित किए

गए हैं। यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य ने सूची III से प्रविष्टि सं 25 का सहारा लेकर कोई कानून नहीं बनाया है लेकिन चूंकि विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कुछ मामलों में यह स्थिति थी, इसलिए हम इसे शामिल कर रहे हैं।

15. अनुच्छेद 73 के शब्दों का सहारा लेते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय को छोड़कर उच्च न्यायालयों ने माना है कि चूंकि संघ की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है और चूंकि तकनीकी शिक्षा सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत आती है, अनुच्छेद 73 के तहत संघ के विभाग द्वारा जारी कार्यकारी अनुदेश/दिशानिर्देश अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों का अधिक्रमण करेंगे। यद्यपि इन उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अनुच्छेद 254 में निहित प्रावधान के कारण सभी संभावनाओं में ऐसी व्याख्या का सहारा लिया है जो राज्य के विधानमंडल की शक्ति को उन मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए प्रतिबंधित करता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ असंगत नहीं हो सकते हैं। स्पष्टतया, जहां तक संसद और राज्य सरकार को विधान बनाने के लिए दी गई शक्तियों के दायरे और परिधि तथा अनुच्छेद 254 के आलोक में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की सर्वोच्चता का संबंध है, कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता। हालांकि, मुद्दा यह है कि क्या निहितार्थ से अनुच्छेद 254 के तहत प्रदान की गई राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर यह सीमित सीमा अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 309 के बीच परस्पर क्रिया की व्याख्या करते समय सादृश्य द्वारा भी लागू होगी। हमारे सुविचारित विचार में, अनुच्छेद 73 भाग V के अध्याय I का एक हिस्सा है जो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 309 भाग XIV के अध्याय 1 का एक हिस्सा है जो संघ और राज्यों के तहत सेवाओं के लिए प्रदान करता है। अनुच्छेद 245 से 255 भाग XI के अध्याय I का हिस्सा हैं जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान करता है। यदि संविधान की ऐसी किसी योजना को ध्यान में रखा जाता है, तो अनुच्छेद 254 के तहत कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है, केवल इसलिए कि अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति के संबंध में प्रावधान करता है, यहां तक कि उन मामलों के लिए भी जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है, हमारे विचार में, उस उपबंध के अधीन जारी किए गए ऐसे कार्यकारी निर्देश या दिशानिर्देश, भले ही वे उन मामलों के संबंध में हों, जहां संसद को कानून बनाने की शक्तियां हैं, अनुच्छेद 254 के तहत संरक्षण द्वारा शासित नहीं होंगे, जो केवल उस स्थिति को ध्यान में रखता है जहां किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रतिकूल हैं। यदि किसी राज्य सरकार ने अनुच्छेद 309 में निहित समर्थकारी उपबंध का सहारा लेकर कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न आईटीआई में नियुक्त किए जाने वाले शिल्प अनुदेशकों के पद के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रावधान है, भले ही वे अनुच्छेद 73 के तहत डीजीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप न हों, तो पूर्व को किसी विशिष्ट प्रावधान से बहुत कम प्रभावित नहीं कहा जा सकता है, अनुच्छेद 254 द्वारा।

16. यदि संसद सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 66 का सहारा लेकर शिल्प अनुदेशकों के पद के लिए न्यूनतम अर्हता प्रदान करने का विधान बनाती है,

तो उसे सर्वोच्चता प्राप्त होगी, तथापि, अनुच्छेद 73 के अधीन जारी कार्यकारी दिशा-निर्देशों या अनुदेशों को यह नहीं माना जा सकता है कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है जिसे अनुच्छेद 254 के आधार पर प्रधानता प्राप्त होगी।

17. हम आंध्र प्रदेश सरकार बनाम श्रीमती पी लक्ष्मी देवी (श्रीमती) के मामले में टिप्पणियों से हमारी ऐसी व्याख्या के लिए समर्थन चाहते हैं; (2008) 4 एससीसी 720 प्रासंगिक पैरा नीचे के रूप में पढ़ें:

> "33. केल्सन के अनुसार, हर देश में कानूनी मानदंडों का एक पदानुक्रम होता है, जिसका नेतृत्व वह "ग्रंडनॉर्म" (मूल मानदंड) के रूप में करता है। यदि इस पदानुक्रम की एक उच्च परत में एक कानूनी मानदंड निचली परत में एक कानूनी मानदंड के साथ संघर्ष करता है, तो पूर्व प्रबल होगा (देखें केल्सन का कानून और राज्य का सामान्य सिद्धांत).
>
> 34. भारत में ग्रंडनॉर्म भारतीय संविधान है, और पदानुक्रम इस प्रकार है:
>
> (i) भारत का संविधान;
>
> (ii) सांविधिक विधि, जो संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि हो सकती है;
>
> (iii) प्रत्यायोजित विधान, जो संविधि के अधीन बनाए गए नियमों, संविधि के अधीन बनाए गए विनियमों आदि के रूप में हो सकता है;
>
> (iv) पूर्णत कार्यकारी आदेश जो किसी संविधि के अधीन न किए गए हों।
>
> 35. यदि उपरोक्त पदानुक्रम में एक उच्च स्तर में एक कानून (आदर्श) एक निचली परत में एक कानून के साथ टकराता है, तो पूर्व प्रबल होगा। अत संवैधानिक उपबंध अन्य सभी विधियों पर अभिभावी होगा, चाहे वे संविधि में हों या प्रत्यायोजित विधान में हों या किसी कार्यकारी आदेश में हों। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और कोई भी कानून जो इसके साथ संघर्ष में है, जीवित नहीं रह सकता है। चूंकि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून पदानुक्रम के दूसरे स्तर में है, जाहिर है कि यह अमान्य होगा यदि यह संविधान में एक प्रावधान के साथ संघर्ष में है (निर्देशक सिद्धांतों को छोड़कर, जिन्हें अनुच्छेद 37 द्वारा स्पष्ट रूप से गैर-प्रवर्तनीय बनाया गया है)।

18. एस.के.नौसाद रहमान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के अवलोकन के बाद भी; (2022) 12 एससीसी 1 प्रासंगिक होगा:

> "28. चौथा, सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के लिए लागू मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं;
>
> (i) सक्षम विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून;
>
> (ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाए गए नियम; और;

(iii) संघ के अधीन सिविल सेवाओं के मामले में संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत और राज्यों के अधीन सिविल सेवाओं के मामले में अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जारी कार्यकारी अनुदेश।

29. पांचवां, जहां कार्यकारी निर्देशों और अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के बीच संघर्ष हो, वहां नियम अभिभावी होने चाहिए। अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों और उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में, कानून प्रबल होता है। जहां नियम कंकाल हैं या ऐसी स्थिति में जब नियमों में अंतर है, कार्यकारी निर्देश नियमों में कही गई बातों को पूरक कर सकते हैं।

30. छठा, संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन संघ को प्रदत्त शक्ति और अनुच्छेद 162 के अधीन राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में लिया गया नीतिगत निर्णय उन भर्ती नियमों के अधीन होता है जिन्हें विधायी अधिनियमन या संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन बनाया गया है।

19. उपर्युक्त के आलोक में, ट्रिब्यूनल ने उच्च न्यायालयों के निर्णयों का आँख बंद करके पालन करने में घोर गलती की है, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 73 के तहत डीजीटी द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक दिशानिर्देशों में अनुच्छेद 309 के तहत राज्य द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों पर प्रधानता होगी, हमारे द्वारा दिए गए कारणों के लिए, जब तक शिल्प प्रशिक्षक के पद के लिए योग्यता प्रदान करने के लिए क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाता है। सातवीं अनुसूची से सूची । की प्रविष्टि संख्या 66 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार, अनुच्छेद 73 का सहारा लेकर प्रतिवादी-डीजीटी द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देश अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए भर्ती नियम, 1983 का अधिक्रमण नहीं करेंगे, जिसके अनुसरण में आक्षेपित विज्ञापन जारी किया गया था। अवलोकन और निष्कर्ष जो ट्रिब्यूनल के लिए आक्षेपित आदेश पारित करने का आधार बनाते हैं, कानून में स्पष्ट रूप से अस्थिर हैं।

15. उपरोक्त निर्णय से दायर एक विशेष अनुमति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। हम इस तथ्य के प्रति भलीभांति अवगत हैं कि एसएलपी को खारिज करने से अनुमोदित निर्णय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोदाहरण की चमक नहीं बन पाएगा। हालाँकि, डिवीजन बेंच में तर्क हमें उपरोक्त डिक्टम का सम्मानपूर्वक पालन करने के लिए राजी करता है, विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2020 को जारी अनुलग्नक -8 संचार को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा यह देखा गया कि 152 CITS ट्रेडों में से केवल 82 ट्रेडों के लिए अनुमोदित CITS पाठ्यक्रम हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे ऐसे ट्रेडों में अनुदेशकों की नियुक्ति की अनुमति दें, जहां कोई सीआईटीएस पाठ्यक्रम नहीं है, इस शर्त पर कि जब कभी डीजीटी द्वारा ऐसी सीआईटीएस अर्हताएं विकसित की जाती हैं, उक्त उम्मीदवार आरपीएल के तहत सीआईटीएस प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह भी प्रदान किया गया है कि कोई भी उम्मीदवार जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा या एनटीसी या एनएसी है; यदि उन व्यवसायों के लिए सीआईटीएस योग्यता के बिना चयन किया जाता है जिनके पास सीआईटीएस पाठ्यक्रम है, तो ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति की तारीख से

तीन साल के भीतर सीआईटीएस प्रशिक्षण से गुजरना होगा। अभी तक विज्ञापन में निर्धारित यह शर्त विशेष रूप से है जिसमें उन व्यक्तियों को सावधान किया गया है जिन्हें सीआईटी के बिना नियुक्त किया जाएगा कि यदि वे तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी अर्हता अजत नहीं करते हैं तो वे प्रथम वेतनवृद्धि की अपनी पात्रता खो देंगे और यहां तक कि उन्हें समाप्ति के खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सीआईटीएस अनिवार्य नहीं है और केवल एक वांछनीय योग्यता है।

16. अब हमें विचार करना है कि क्या 2018 के नियमों को ठीक से अधिसूचित किया गया है।

17. **हरला बनाम राजस्थान राज्य; एआईआर 1951 एससी 467** कानून के प्रख्यापन और प्रकाशन की आवश्यकता से संबंधित है। यह घोषित किया गया था कि 'किसी विशेष कानून या प्रथा के अभाव में, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा कि किसी राज्य के विषय को कानूनों द्वारा दंडित या दंडित करने की अनुमति दी जाए, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और जिसके बारे में वे उचित परिश्रम के प्रयोग के साथ भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। (वैसा)। इसलिए यह माना गया कि किसी कानून को लागू करने से पहले इसे प्रख्यापित या प्रकाशित किया जाना चाहिए, इसे कुछ पहचानने योग्य तरीके से प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग जान सकें कि यह क्या है। वर्ष 1924 में जयपुर अफीम अधिनियम को राजपत्र में प्रख्यापन या प्रकाशन या अन्य साधनों के बिना पारित करना, अधिनियम को जनता के लिए ज्ञात करने के लिए, इसे कानून बनाने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था।

18. **बी.के. श्रीनिवासन बनाम कर्नाटक राज्य; (1987) 1 एससीसी 658** पैराग्राफ नंबर 15 में ऐसा आयोजित किया गया:

> "15. इस प्रस्ताव के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जहां एक कानून, चाहे संसदीय या अधीनस्थ हो, अनुपालन की मांग करता है, जो शासित होते हैं उन्हें कानून और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों और परिवर्धन के बारे में सीधे और मज़बूती से अधिसूचित किया जाना चाहिए। चाहे कानून को कानून का पालन करने की मांग करने वाले "कर्तव्यनिष्ठ अच्छे आदमी" के दृष्टिकोण से देखा जाए या कानून से बचने की मांग करने वाले न्यायमूर्ति होम्स के "अविवेकी बुरे आदमी" के दृष्टिकोण से, कानून को जानना चाहिए, यह कहना है, इसे इतना बनाया जाना चाहिए कि इसे जाना जा सके। हम जानते हैं कि प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधान सर्वव्यापी है और गतिविधि का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधायी शक्तियों द्वारा शासन संसदीय विधान द्वारा शासन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन संसदीय विधान, जो सार्वजनिक रूप से बनाया जाता है, के विपरीत, प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधान प्राय मंत्री, सरकार के सचिव या अन्य आधिकारिक गणमान्य व्यक्ति के कक्षों में विनीत रूप से बनाए जाते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि अधीनस्थ विधान, प्रभावी होने के लिए, कुछ उपयुक्त तरीके से प्रकाशित या प्रख्यापित किया जाना चाहिए, चाहे ऐसा प्रकाशन या प्रख्यापन मूल क़ानून द्वारा निर्धारित किया गया हो या नहीं। यह तब इस तरह के प्रकाशन या प्रख्यापन की तारीख से प्रभावी होगा। जहां मूल क़ानून प्रकाशन या प्रख्यापन के तरीके को निर्धारित करता है, उस मोड का पालन किया जाना चाहिए। जहां मूल क़ानून चुप है, लेकिन अधीनस्थ कानून स्वयं प्रकाशन के तरीके को निर्धारित करता है, प्रकाशन का ऐसा तरीका पर्याप्त हो सकता है, यदि उचित

हो। यदि अधीनस्थ विधान प्रकाशन की विधि विहित नहीं करता है या यदि अधीनस्थ विधान प्रकाशन की स्पष्ट रूप से अनुचित पद्धति विहित करता है तो यह तभी प्रभावी होगा जब इसे परंपरागत रूप से मान्यता प्राप्त सरकारी चैनल अर्थात् राजपत्र या प्रकाशन की किसी अन्य युक्तियुक्त विधि के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। अधीनस्थ कानून हो सकता है जो कुछ व्यक्तियों से संबंधित हो या छोटे स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित हो। ऐसे मामलों में अन्य माध्यमों से प्रकाशन या प्रख्यापन पर्याप्त हो सकता है [नारायण रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1969) 1 अंध डब्ल्यूआर 77]।

19. हमें यह देखना होगा कि पूर्वोक्त निर्णय दंड कानूनों और नागरिकों द्वारा अनुपालन की आवश्यकता वाले कानूनों के संबंध में थे, जिन्हें लागू करने और लागू करने से पहले नागरिक को जानने का अधिकार था।

20. **दीपक बाबरिया बनाम गुजरात राज्य; (2014) 3 एससीसी 502**, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह में निर्णय के लिए अनुमोदन के साथ संदर्भित विभिन्न प्राधिकरणों पर विचार **करते हुए; एआईआर 1964 एससी 358, जिसने** टेलर बनाम टेलर [(1875) एलआर 1 सीएच डी 426 में पृष्ठ 431 पर **निर्धारित कानून के प्रस्ताव को दोहराया।**, निम्नलिखित तरीके से:

"नियम में अपनाया गया टेलर वी। टेलर [(1875) एलआर 1 सीएच डी 426 पृष्ठ 431 पर। इसका परिणाम यह है कि यदि किसी संविधि ने कोई कार्य करने की शक्ति प्रदान की है और उस पद्धति को निर्धारित किया है जिसमें उस शक्ति का प्रयोग किया जाना है, तो यह आवश्यक रूप से उस कार्य को किसी अन्य तरीके से करने से रोकता है जो निर्धारित किया गया है। नियम के पीछे सिद्धांत यह है कि यदि ऐसा नहीं होता, तो वैधानिक प्रावधान भी अधिनियमित नहीं किया जा सकता था।

[जोर देने के लिए हमारे द्वारा रेखांकित]

21. ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम अनिल शांताराम खोजे और अन्य; (2016) 15 एससीसी 726, भर्ती प्रक्रियाओं के पहलू पर माना जाता है कि नियम केवल आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होते हैं; अधिनियमन में उस शर्त के अनुसार जिसके तहत नियम बनाए गए थे, वर्ष 2005-06 के दौरान नियमों का निर्माण किया गया था।

22. बिहार और उड़ीसा सामान्य खंड अधिनियम, 1917 की धारा 28 में ऐसा प्रावधान है:

"28. राजपत्र में आदेशों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन--जहाँ किसी बिहार और उड़ीसा अधिनियम [या बिहार] में या ऐसे किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम में, यह निदेश दिया जाता है कि कोई आदेश, अधिसूचना या अन्य विषय अधिसूचित या प्रकाशित किया जाएगा तो ऐसी अधिसूचना या प्रकाशन, जब तक कि अधिनियम अन्यथा उपबंधित न करे, यदि वह राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तो सम्यक् रूप से किया गया समझा जाएगा।

23. उक्त अधिनियम की धारा 6 भी इसके तहत निकाली गई है:

"6. अधिनियमों का प्रवृत्ति--(1) जहाँ कोई बिहार और उड़ीसा अधिनियम किसी विशेष दिन को प्रवृत्त होने के लिए अभिव्यक्त नहीं किया जाता है वहाँ वह उस दिन से प्रवृत्त होगा जिस दिन भारत शासन अधिनियम की धारा 81 के अनुसरण में गवर्नर-जनरल की सहमति पहली बार [राजपत्र]

में प्रकाशित की जाती है, 1915. (1-ए)। जहां किसी विशेष दिन पर किसी बिहार अधिनियम के लागू होने के लिए व्यक्त नहीं किया जाता है-

(i) संविधान के प्रारंभ से पूर्व बनाए गए बिहार अधिनियम की दशा में, यदि वह विधान-मंडल का अधिनियम है, जिस दिन उस दिन राज्यपाल, गवर्नर जनरल या महामहिम, जैसा भी मामला अपेक्षित हो, की सहमति सर्वप्रथम राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, प्रवर्तन में आएगा, और यदि यह बिहार के राज्यपाल का अधिनियम है, जिस दिन इसे पहली बार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिनियम के रूप में प्रकाशित किया गया है; (ii) संविधान के प्रारंभ के पश्चात् बनाए गए बिहार अधिनियम की दशा में, वह उस दिन से प्रवर्तन में आएगा जिस दिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की यथास्थिति, अपेक्षित अनुमति सर्वप्रथम राजपत्र में प्रकाशित की जाती है।

(2) जब तक इसके विपरीत अभिव्यक्त न किया जाए, बिहार और उड़ीसा अधिनियम या बिहार अधिनियम का प्रारंभ की समाप्ति पर तुरंत प्रवर्तन में आने वाला अर्थ लगाया जाएगा।

24. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम, 2018 के नियम 11.05.2019 को लाए गए थे और यह निर्दिष्ट किया गया था कि यह नियम 1 (3) से देखे गए अनुसार तुरंत लागू होगा। उक्त नियमों के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है और न ही यह ऐसा है जिसके लिए नागरिकों से अनुपालन की आवश्यकता है। यह एक निर्दिष्ट संवर्ग में चयन, नियुक्ति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाला नियम है। इस बात पर कोई जोर नहीं दिया जा सकता है कि आम जनता को उसी के नोटिस में रखा जाना चाहिए या कैडर के भविष्य के उम्मीदवारों को अग्रिम जानकारी होनी चाहिए। भर्ती में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के समय आवश्यकताओं को प्रचारित किया जाता है। हमें 2018 के नियमों के तहत लाए गए विज्ञापन में कोई खामी नहीं मिली।

25. वर्तमान मामले में इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञापन आने पर 2018 के नियम को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित या प्रकाशित नहीं किया गया था। भले ही कोई अधिसूचना होनी थी; 2018 के नियमों की स्थिति को बरकरार नहीं रखते हुए, हमें आवश्यक रूप से 2013 के नियमों पर वापस लौटना होगा जो निस्संदेह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। 2013 के नियम 2024 के CWJC संख्या 3385 में अनुलग्नक-3 के रूप में निर्मित किए गए हैं (जिससे हम इस पैराग्राफ में अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का संदर्भ देते हैं)। यह अनुलग्नक -3 द्वारा सीआईटीएस प्रदान नहीं करने के संदर्भ में था, कि अनुलग्नक -4 के निर्णय द्वारा इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को सीआईटीएस की योग्यता के रूप में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित आवश्यकता के अनुरूप 2013 के नियम बनाने के बाद एक नया विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता थी। निर्णय अंतिम हो गया है क्योंकि राज्य ने अपील नहीं की है, लेकिन, जैसा कि हमने पहले देखा था, स्थिति काफी बदल गई है और सीटीएस अब अनिवार्य नहीं है। इसलिए, यह अब तक बिल्कुल कोई कठिनाई पैदा नहीं करता है; या तो 2013 के नियमों या 2018 के नियमों के तहत आगे बढ़ने वाले चयन के संबंध में; जो बाद में नियम सीआईटीएस को एक वांछनीय योग्यता बनाता है।

26. हमें भारत सरकार के अनुलग्नक-10 संचार पर भी ध्यान देना होगा जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, जो दिनांक 30.06.2023 है। उपरोक्त रिट याचिकाओं में लगाया गया विज्ञापन दिनांक 14.09.2023 को प्रस्तुत अनुबंध-11 श्रृंखला से स्पष्ट है; भारत सरकार के अनुबंध-10 आदेश

के बाद। यह 2013 के नियमों के साथ संघर्ष नहीं करता है जिसने CITS को अनिवार्य योग्यता या शैक्षिक योग्यता के रूप में प्रदान नहीं किया है। यह भी 2018 के नियमों के अनुरूप है। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को वरीयता देने वाले राज्य सरकार के विज्ञापन को केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कार्यकारी अनुदेशों को अपनाने के रूप में माना जा सकता है।

27. अब हम विज्ञापन में निर्धारित चयन की विधि पर आते हैं, जैसा कि हमने देखा कि लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग प्रमाणपत्र के लिए 20 प्रतिशत अंक, सीआईटीएस के 30 प्रतिशत और संविदात्मक नियुक्ति के लिए वेटेज के रूप में 25 अंक होते हैं। 2013 के नियमों में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है और इसलिए विज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, केवल उचित होने के कारण और केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से सीआईटीएस के अधिमान्य उपचार के अनुरूप भी बरकरार रखी जा सकती है। प्रक्रिया किसी भी तरह से 2013 के नियमों के साथ संघर्ष नहीं करती है; भले ही विज्ञापन के समय 2018 के नियम लागू न हों; जो हमें पहले ही मिल चुका है वह वैध विवाद नहीं है।

28. अब हम संविदात्मक कर्मचारियों के लिए दिए गए वेटेज पर आते हैं। हम देखते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग की 2018 की नियमावली, अधिसूचना संख्या 8025 दिनांक 21.05.2013 में अनुबंध कर्मचारियों को वेटेज की अनुमति दी गई है; जैसा कि 2018 के नियमों के पैराग्राफ संख्या 9 (ई) से स्पष्ट है। 2018 के नियमों से स्वतंत्र भी सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना जीवित है और वेटेज उचित है। हमारा यह भी मानना है कि शॉर्ट टर्म/गेस्ट लेक्चरर की तुलना संविदा कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। लेकिन अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि चयन किस प्रकार किया गया था। जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उल्लेख किया गया था, संविदागत कर्मचारियों का चयन अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति से काफी भिन्न है क्योंकि उन्हें संविदात्मक कर्मचारियों के बराबर नहीं पाया जा सकता है। हमारी राय है कि केवल संविदा कर्मचारियों को ही दिया जाने वाला महत्व भी उचित है।

29. हमें यह देखना होगा कि लिखित परीक्षा भी सरकार द्वारा 2023 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15816 में राज्य सरकार के दिनांक 09.05.2024 के पूरक हलफनामे के साथ प्रस्तुत अनुबंध-R1/E के अनुसार निर्धारित की गई है। विज्ञापन में निर्धारित चयन की प्रक्रिया उन संविदागत कर्मचारियों, जो एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं करते हैं, के चयन और वेटेज में लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सरकारी आदेशों के अनुरूप है। हालांकि इस पर बहस नहीं की गई है, हमें यह ध्यान रखना होगा कि 2018 के नियम, विशेष रूप से अनुदेशकों के दो पदों में से एक के लिए प्रदान किए गए हैं, प्रत्येक ट्रेड में इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा और एनटीसी / एनएसी धारकों के लिए अलग रखा जाएगा: एक पद डिग्री या डिप्लोमा धारक को दिया जाएगा और दूसरा एनटीसी / एनएसी धारकों के लिए होगा। हमें केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 30.06.2023 के अनुलग्नक-10 (2024 का सीडब्ल्यूजेसी नंबर 3385) पर फिर से ध्यान देना होगा, जो ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए योग्यता के तहत निम्नानुसार इंगित करता है: -

> "नोट: 2 (1 + 1) की इकाइयों के लिए आवश्यक दो प्रशिक्षकों में से डिग्री / डिप्लोमा होना चाहिए और दूसरे के पास एनटीसी / एनएसी योग्यता होनी चाहिए।

30. अतः उस आधार पर किया जाने वाला चयन भी केन्द्र सरकार के निदेशों के अनुरूप है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन में अपनाया गया है। हमें रिट याचिकाओं पर विचार करने

का कोई कारण नहीं मिलता है। हालांकि, यह देखा जाना चाहिए कि केंद्र सरकार ने अनुबंध पी -10 में और अनुलग्नक पी -16 द्वारा भी नियमित और आरपीएल सीआईटीएस की बराबरी की है। सीआईटीएस के लिए प्राप्त अंकों के 30% के पुरस्कार द्वारा अधिमान्य दावा प्रदान करने में; हम राज्य सरकार को दोनों धाराओं, नियमित और आरपीएल के तहत प्राप्त सीआईटीएस पर विचार करने का निर्देश देते हैं। उपरोक्त आरक्षण के साथ अन्य तर्कों को खारिज कर दिया गया है।

31. विद्वान महाधिवक्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि पूरी चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है और केवल योग्यता सूची और नियुक्ति का प्रकाशन शेष है। राज्य चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होगा; ऊपर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को शामिल करते हुए।

32. रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी जाएगी, आरपीएल सीआईटीएस को भी माना जाएगा, लेकिन उठाए गए अन्य सभी आधारों को खारिज कर दिया जाएगा।

(के. विनोद चंद्रन, सीजे)

(हरीश कुमार, जे)

सुजीत/रंजन-

डिस्क्लेमर (खंडन)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा, साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।